Frequently Asked Questions & their Answers

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

1. **अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु प्रारम्भ किये गये ऑनलाईन पोर्टल का एड्रेस क्या है?**

   पोर्टल http://rajpms.nic.in **वैब एड्रेस पर उपलब्ध है।**

2. **पोर्टल पर आवेदन की अन्तिम तिथि क्या है / पोर्टल पर कब तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे?**

   वर्ष 2012-13 हेतु पोर्टल पर आवेदन हेतु अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2012 निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों को इससे पूर्व ही यथाशीघ्र आवेदन कर देना चाहिए।

3. **राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु आवेदन की सुविधा पोर्टल पर कब तक उपलब्ध होगी ?**

   ऐसे विद्यार्थियों हेतु पोर्टल पर आवेदन की आवश्यक सुविधा अक्टूबर माह से प्रारम्भ की जायेगी।

4. **पोर्टल पर आवेदन का प्रिन्ट नहीं निकल रहा है।**

   यह समस्या मात्र उन्हीं कम्प्यूटर्स पर है जिन पर विण्डोज-एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अन्य कम्प्यूटर जिन पर विण्डोज-विस्टा अथवा विण्डोज-7 हो, प्रिन्ट निकाला जा सकता है।

5. **आवेदन पत्र में एनरोलमेन्ट नम्बर व दिनांक चाहा गया है जबकि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को यह अभी उपलब्ध नहीं है।**

   यहाँ एनरोलमेन्ट नम्बर/**रॉल नम्बर** चाहा गया है। यदि एनरोलमेन्ट नम्बर अभी प्राप्त नहीं हुआ है तो महाविद्यालय में प्रवेश के समय दिया गया रजिस्ट्रेशन नम्बर डाला जा सकता है, यदि वह भी उपलब्ध नहीं हुआ है तो कक्षा में उपस्थिति पंजिका का क्रमांक (रोल नम्बर) डाला जा सकता है तथा दिनांक में प्रवेश की तिथि डाली जा सकती है।

6. **यदि आवेदन में कहीं कोई गलती हो गई है और फॉर्म लॉक भी कर दिया है तो अब गलती कैसे दूर करेंगे ?**

   फॉर्म को लॉक करने से पूर्व आवेदक स्वयं लॉगइन होकर आवश्यक संशोधन कर सकता है। फॉर्म लॉक करने के बाद संबंधित महाविद्यालय ही आवेदन में संशोधन कर सकता है, अतः इस स्थिति में महाविद्यालय से सम्पर्क करना चाहिए।

7. **पोर्टल पर आवेदन करते समय महाविद्यालय का नाम तो सलेक्ट हो गया परन्तु कोर्स की लिस्ट में वांछित कोर्स उपलब्ध नहीं है।**

इस संबंध में महाविद्यालय से सम्पर्क करना चाहिए क्योंकि पोर्टल पर महाविद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे कोर्सेज स्वयं महाविद्यालय स्तर पर ही रजिस्टर किये जाते हैं।

8. **आय प्रमाण-पत्र किस प्रारूप में दिया जाना है ?**

इस हेतु राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किया गया आय के घोषणा-पत्र का प्रारूप विभागीय वैबसाइट पर **http://sje.rajasthan.gov.in** पर बाईं ओर नीचे दिये गये पोर्टल के लिंक्ड पेज एवं **News/Orders & Notifications** कॉलम दोनों पर उपलब्ध है।

9. **आय घोषणा-पत्र के प्रारूप में प्रार्थी के नाम एवं पिता के नाम वाले स्थान पर किसका नाम भरा जाना है, आवेदक का अथवा उसके पिता का ?**

आय का घोषणा-पत्र छात्रवृति हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थी के पिता/पति अथवा संरक्षक (जिसके द्वारा परिवार की आय की धोषण की जा रही है) द्वारा भरा जाना है, अत: इस पर पिता/पति अथवा संरक्षक एवं उनके पिता का नाम अंकित किया जाना है, तथा फोटो भी उन्हीं का लगाया जाना है।

10. **यदि विद्यार्थी विशेष योग्यजन (नि:शक्त) अर्थात् Disabled श्रेणी का है तो क्या उसे आवेदन में क्या अंकित करना है ?**

यदि आवेदक विद्यार्थी विशेष योग्यजन **[Specially Abled** अर्थात् **Disabled)]** श्रेणी का है तो यहाँ उन्हें **Yes** सलेक्ट करना चाहिए तथा आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए।

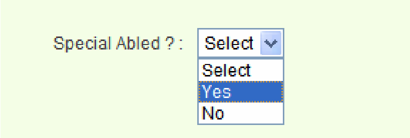

पात्रता सम्बन्धी प्रश्न :-

11. **अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय-सीमा क्या है ?**

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं हेतु अधिकतम वार्षिक आय सीमा निम्न प्रकार से है :-

अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	-	2.00 लाख
अनु;जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	-	2.00 लाख
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	-	1.00 लाख
विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	-	2.00 लाख

12. **अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए प्राथमिकता किनको दी जाती है?**

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के आवेदकों में छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :-

(1) बी.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी, (2) नि:शक्त (3) विधवा, (4) तलाकशुदा महिला, (5) विधवा महिला के पुत्र/पुत्री, (6) तलाकशुदा महिला के पुत्र/पुत्री श्रेणी के नवीनीकरण के आवेदन। तत्पश्चात् उक्त श्रेणियों के नवीन विद्यार्थियों के आवेदन।

राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों, अर्हक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों तथा ग्रुप अ एवं ब में वर्णित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वरीयता दी जावेगी।

अत: उक्तानुसार प्रमाण-पत्र लगाये जाने आवश्यक हैं।

13. **क्या सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं ?**

नहीं। यह योजना केवल अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु ही संचालित है।